

न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
निवासीन अधिकारी : सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No : 2022/74
दायरा तिथि : 15.09.2021
फैसला तिथि : 14-5-22

प्रार्थी:-

मगाराम पुत्र लखारामजी जाति देवारी
निवासी भीटवाडा तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. पटवारी ग्राम पंचायत भीटवाडा

उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह पंवार..... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली पैरोकार सरकार की ओर से

-:: आदेश ::-

दिनांक 14-5-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम भीटवाडा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 152, 153, 155, 157, 158, 161/1, 164/3 कुल रकबा 0.48 हैक्टर व खातेदारी भूमि खसरा नंबर 153/1, 154, 154/4, 156/2, 159/2, 160/2, 161, 161/3, 162, 162/4, 163, 164 कुल रकबा 3.67 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम मगाराम पुत्र लखाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम मगाराम पुत्र लखाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमावंदी की प्रतियां पेश की गईं। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम मगाराम पुत्र लखाराम दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मगाराम पुत्र लखाराम दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम मगाराम पुत्र लखाराम के स्थान पर मगाराम पुत्र लखाराम शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकूलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह पंवार ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मगाराम पुत्र लखाराम है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां पेश कर दी हैं। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम मगाराम पुत्र लखाराम दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम भीटवाडा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 152, 153, 155, 157, 158, 161/1, 164/3 कुल रकबा 0.48 हैक्टर व खातेदारी भूमि खसरा नंबर 153/1, 154, 154/4, 156/2, 159/2, 160/2, 161, 161/3, 162, 162/4, 163, 164 कुल रकबा 3.67 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम मगाराम पुत्र लखाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम मगाराम पुत्र लखाराम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। गिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घायगुडे अभिलेखीय)
बाली, जिला-पाली (राज.)
भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

(सुश्री घायगुडे अभिलेखीय)
बाली, जिला-पाली (राज.)
भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली



आज दिनांक 14-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।